M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2362 दिनांक : 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATION
21, INDUSTRIAL AREA, DHAR (M.P.)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000.00	25200.00	**165200.00**	140000.00	7000.00	26460.00	**173460.00**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146500.00	26370.00	**172870.00**	146500.00	7325.00	27688.50	**181513.50**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

State Agro Ind. Dev. Corpn.

3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **''<u>भुगतान पश्चात् भुगतान</u>''** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के-संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u>** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **''सेल लेटर''** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति ...

Ind. Dev. Corpn.

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 2363/20-10-23

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATION,** 21, INDUSTRIAL AREA, DHAR (M.P.)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023-24 / 2364 दिनांक 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S G.V. INDUSTRIES,
29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000.00	25200.00	**165200.00**	140000.00	7000.00	26460.00	**173460.00**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146500.00	26370.00	**172870.00**	146500.00	7325.00	27688.50	**181513.50**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक / निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक / निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u> –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u> :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को

Agro Ind. Dev. Corpn.

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2365
20-10-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S G.V. INDUSTRIES,** 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2366 दिनांक 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S FEBRICON INDUSTRIES,
81 VASANT VIHAR COLONY, DHAR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000.00	25200.00	**165200.00**	140000.00	7000.00	26460.00	**173460.00**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146500.00	26370.00	**172870.00**	146500.00	7325.00	27688.50	**181513.50**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **<u>भुगतान</u> –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **<u>तकनीकी मापदण्ड</u> :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2367
20-10-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S FEBRICON INDUSTRIES,** 81 VASANT VIHAR COLONY, DHAR (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (...)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2023–24/2368 दिनांक : 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NATIONAL ENGINEERING WORKS
OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	131334.00
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	135051.00
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	136909.50
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	141865.50
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000.00	25200.00	**165200.00**	140000.00	7000.00	26460.00	173460.00
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146500.00	26370.00	**172870.00**	146500.00	7325.00	27688.50	181513.50
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	154379.40
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	161813.40

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रक्रिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2369
20-10-23

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S NATIONAL ENGINEERING WORKS,** OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2023–24/2370 दिनांक 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S R.K. INDUSTRIES,
19/1, NARELI ARCUDE MUHORAMA INDORE

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय राही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फ़ीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट :** वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता :** अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

2371
20-10-23

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी--ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S R.K. INDUSTRIES,** 19/1, NARELI ARCUDE MUHORAMA INDORE

State Agro Ind. Dev. Corpn.

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2023-24/2372 दिनांक : 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES,
BANDI CHOD MARG, NEAR RTO OFFICE, DHAR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR-CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रक्रिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **<u>सामग्री की गुणवत्ता</u>** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय

Agro Ind. Dev. Corpn.

यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हों जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट :** वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता :** अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

2373
20-10-23

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S BALAJI ENTERPRISES,** BANDI CHOD MARG, NEAR RTO OFFICE, DHAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (...)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2023-24/2374 दिनांक : 20/10/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD.
MIG 10/5, ANKUR COMPLEX PHASE-IV, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016 (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000.00	25200.00	**165200.00**	140000.00	7000.00	26460.00	**173460.00**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146500.00	26370.00	**172870.00**	146500.00	7325.00	27688.50	**181513.50**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **<u>आदेश की प्रक्रिया</u>** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

Agro Ind. Dev. Corp

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2375
20-10-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD.** , MIG 10/5, ANKUR COMPLEX PHASE-IV, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016 (MP)

M. P. State Agro-Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2499 दिनांक : 01/11/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु ''ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI INDUSTRIES
KANJIYA ROAD KHIMLASA DISTT -SAGAR 470118

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
G.I. WATER TANKER								
1	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	159700.00	28746.00	**188446.00**	159700.00	7985.00	30183.30	**197868.30**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में ''ऑन–लाईन'' रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. * BHOPAL *

(स) क्षेत्रीय प्रबधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

.......3

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2500
01-11-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्‌य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **MAHALAXMI INDUSTRIES,** KANJIYA ROAD KHIMLASA DISTT -SAGAR 470118

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2501 दिनांक 01/11/23

प्रति

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु ''ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S R S IRON INDUSTRY
NEEM CHOWK BADA BAGH, REWA (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
G.I. WATER TANKER								
1	G.I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**
2	G.I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में ''ऑन–लाईन'' रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. * BHOPAL *

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

......3

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन [signature] गांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2502
01-11-23

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **R S IRON INDUSTRY,** NEEM CHOWK BADA BAGH, REWA (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टेंकर/2023–24/2503 दिनांक : 01/11/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
G.I. WATER TANKER								
1	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	165500.00	29790.00	**195290.00**	165500.00	8275.00	31279.50	**205054.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

......2

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

......3

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डो की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2504
01-11-23

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S TRUE VISION INC** 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2509 दिनांक : 01/11/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA
KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
	M.S. WATER TANKER							
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	131334.00
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	135051.00
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	136909.50
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	141865.50
	G.I. WATER TANKER							
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	154379.40
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	161813.40
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	163424.10
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	170362.50

........2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. ★ BHOPAL ★

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नही होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2510
01-11-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA** KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M P State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023-24 / 2507 दिनांक : 01/11/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

ANIL INDUSTRIES,
KANJIYA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में **प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख** किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि **प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री** का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। **विलम्ब की स्थिति** में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही **प्रदायगी स्वीकार** की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

......4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2508
01-11-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्‌य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **ANIL INDUSTRIES,** KANJIYA ROAD, KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2023–24 / 2505 दिनांक : 01/11/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : TWO WHEEL WATER TANKER की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023

निगम के माध्यम से TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

MANISH FABRICATION,
NEAR OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR (MP)

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000.00	19080.00	**125080.00**	106000.00	5300.00	20034.00	**131334.00**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	109000.00	19620.00	**128620.00**	109000.00	5450.00	20601.00	**135051.00**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	110500.00	19890.00	**130390.00**	110500.00	5525.00	20884.50	**136909.50**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	114500.00	20610.00	**135110.00**	114500.00	5725.00	21640.50	**141865.50**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	124600.00	22428.00	**147028.00**	124600.00	6230.00	23549.40	**154379.40**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	130600.00	23508.00	**154108.00**	130600.00	6530.00	24683.40	**161813.40**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	131900.00	23742.00	**155642.00**	131900.00	6595.00	24929.10	**163424.10**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	137500.00	24750.00	**162250.00**	137500.00	6875.00	25987.50	**170362.50**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

........2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 20.10.2023 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 19.01.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

2506
01-11-23

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **MANISH FABRICATION,** NEAR OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR (MP)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)